


आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गईं करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3								
<h2 style="margin: 0;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल</h2>										
अरवल थाना कांड संख्या 37/2017 दिनांक 15.02.2017 धारा-30 (ए) बिहार उत्पाद अधिनियम 2016										
<h3 style="margin: 0;">आदेश</h3>										
18.05.2017	पुलिस अधीक्षक, अरवल के पत्रांक 604/हि0शा0 दिनांक 17.05.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि अरवल थाना कांड संख्या 37/2017 दिनांक 15.02.2017 धारा-30 (ए) बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इस कांड में जप्त अवैध शराब की विवरणी निम्नवत हैं :-									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">क्रमांक</th> <th style="width:30%;">जप्त सामग्री</th> <th style="width:20%;">प्रकार</th> <th style="width:40%;">अदद/मात्रा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">आर0एस0</td> <td style="text-align: center;">विदेशी शराब</td> <td style="text-align: center;">24 बोतल (750 एम0एल0)</td> </tr> </tbody> </table>			क्रमांक	जप्त सामग्री	प्रकार	अदद/मात्रा	1	आर0एस0	विदेशी शराब	24 बोतल (750 एम0एल0)
क्रमांक	जप्त सामग्री	प्रकार	अदद/मात्रा							
1	आर0एस0	विदेशी शराब	24 बोतल (750 एम0एल0)							
पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा उक्त कांड में जप्त उपरोक्त अवैध शराब को नई उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 57 के अंतर्गत नमूना संरक्षित रखते हुए शेष शराब की मात्रा को विनष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।										
बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 57 में उल्लेखित है कि "यदि विचाराधीन वस्तु के शीघ्र या प्राकृतिक रूप से सड़-गल जाने की संभावना हो, या यदि उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी का यह विचार हो कि उस वस्तु का विक्रय सार्वजनिक हित में होगा या विक्रय उसके स्वामी के हित में होगा तो उत्पाद आयुक्त, कलक्टर, न्यायालय या पदाधिकारी, किसी भी समय, अधिहरण आदेश पारित करने के पूर्व, ऐसी वस्तुओं को बेचने का निदेश दे सकेगा और अर्थागम को सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा:										
परन्तु, जहाँ वस्तु शीघ्रता से और प्राकृतिक रूप से सड़-गल जानेवाली हो या कम मूल्य की हो, अथवा जिसे दुरुपयोग के लिये रखी जा सकती हो, तो कलक्टर या संबंधित पदाधिकारी ऐसी चीज को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा; यदि उसके अपने या उसके विचार से ऐसा आदेश मामले की परिस्थितियों में समीचीन हो।"										
पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी के अवलोकन से अधोहस्ताक्षरी को विश्वास करने का यथेष्ट कारण है कि अरवल थाना कांड संख्या 37/2017 दिनांक 15.02.2017 में पकड़े गये अवैध शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है एवं इसका विनष्टीकरण आवश्यक है।										
अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 57 के आलोक में अधीक्षक, उत्पाद, अरवल को निदेशित किया जाता है कि अरवल थाना कांड संख्या 37/2017 दिनांक 15.02.2017 के अनुसंधान पदाधिकारी की उपस्थिति में जप्त अवैध शराब का नमूना सुरक्षित रखते हुए शेष शराब को विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं इस निमित्त गठित विशेष न्यायालय को संसूचित करते हुए विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि विचारण के दौरान उक्त नमूना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। विनिष्टीकरण के साक्ष्य स्वरूप संपूर्ण कार्रवाई की विडियोग्राफी करायी जायेगी एवं उसकी सी0डी0 एवं 03 छायाचित्र उत्पाद कार्यालय, अरवल में										

संघारित की जाएगी। उक्त कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल की देख-रेख में की जाएगी एवं विनष्टीकरण के उपरांत साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे।


लेखापित एवं संशोधित

  
समाहर्ता,  
अरवल।

  
समाहर्ता,  
अरवल।

ज्ञापांक : 10 / विधि न्या0 अरवल दिनांक 1.8 वीं मई 2017।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, उत्पाद, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता  
अरवल।